बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–25/2015 314 पटना, दिनांक: 19.09.18

कार्यालय आदेश

श्री मुकेश कुमार , तत्कालीन अंचल अधिकारी, दनियॉवा, पटना संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, निदेशालय, मुख्यालय, पटना के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 1241 (नि०को०),दिनांक–13.10.2015 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–767/पं० दिनांक–11.07.2015 द्वारा गठित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–13 सहपठित ज्ञापांक–179 दिनाक–22.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना के पत्रांक–217 दिनांक– 08.12.2017 द्वारा श्री मुकेश कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें दिया गया मंतव्य निम्नवत है :–

आरोपी पर बिना स्थलीय जॉच के संयुक्त रूप से खाता सं०–7255, खेसरा सं०–1402, रकबा– 345 डी० सैरात की भूमि में से 50 डी० भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराने का आरोप हैं।

आरोपी का कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय पत्रांक–1441 दिनांक–06.10.2012 के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमीन की विवरणी उपलब्ध कराई है। आरोपी का यह भी कहना है कि पंचायत सरकार भवन हेतु जमीन चयन करने की प्रक्रिया से उन्हें पूरी तरह से नजर अंदाज किया गया है।

संलग्न साक्ष्य पत्रांक–173 दिनांक–23.02.2015 के संदर्भ में आरोपी का कहना है कि यह पत्र जमीन उपलब्ध कराने सबंधी में उनकी स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह मात्र जिलाधिकारी के आदेशानुसार उनका अनुपालन प्रतिवेदन है।

संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों, प्रस्तोता पदाधिकारी के मंतव्य आदि के परिशीलन/परीक्षण से स्पष्ट होता है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियाँवा ने अपने पत्रांक–1441 दिनांक–06.10.2016 द्वारा दिया था, इस पत्र में यह वर्णित है कि अंचलाधिकारी से जमीन की विवरणी प्राप्त कर भेजी जा रही है।

आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अंचल स्तर पर भूमि के प्रबधन का दायित्व अंचलाधिकारी का होता है । अंचलाधिकारी का यह कहना कि पंचायत सरकार भवन हेतु जमीन चयन करने की प्रक्रिया से उन्हें पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अंचलाधिकारी के रूप में उनका दायित्व था कि यदि उनके अंचल अंतर्गत सैरात की भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जा रहा था तो इसे रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते, परन्तु उनके द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारणवश इस योजना में कुल 16,69,977/–(सोलह लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर) रूपये का व्यय हो गया जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत श्री मुकेश कुमार से निदेशालय के पत्रांक–2832 दिनांक–20.12.2017 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी। श्री मुकेश कुमार ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 'क' में लगाए गए आरोप के अलावा मुझे इस बात के लिए भी जिम्मेवार ठहरा दिया गया कि वे सैरात की भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं कर पाया । इस संबंध में उनका यह कहना है कि ऐसा कोई आरोप उनपर गठित नहीं किया गया था तथा जो आरोप प्रपत्र 'क' में नहीं है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराना पूर्णतः न्यायविरूद्ध है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य का आदेश उच्च पदाधिकारी द्वारा दिया गया था तथा उनके आदेश से हो रहे निर्माण कार्य को रोकना उनके लिए नियम विरूद्ध होता ।

4. श्री मुकेश कुमार के द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया जिसके चलते सैरात की भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5 संचालन पदाधिकारी के मतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मुकेश कुमार पर प्रमाणित आरोप के लिए संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार,तत्कालीन अंचल अधिकारी, दनियावॉ, पटना संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, निदेशालय मुख्यालय, पटना को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–24/2015 1906 पटना, दिनांक : 10.09.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना।

2. उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1241 (नि०को०) दिनांक–13.10.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–767/प० दिनांक–11.07.2015 के प्रसंग में सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सहायक निदेशक(स्थापना/आहरण एवं व्ययन),निदेशालय (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री मुकेश कुमार,कनीय सांख्यिकी सहायक, कृषि शाखा, निदेशालय, मुख्यालय, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/09

निदेशक